भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-1, खण्ड-1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011

सार्वजनिक सूचना सं. 24 /2009-2014 (आर ई-2010)
दिनांक 17 जनवरी, 2011

विषयः प्रपत्र बीजक की आवश्यकता का समाप्त होना -- आयात निर्यात प्रपत्र 2ख में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (आयात निर्यात प्रपत्र और परिशिष्ट) 2009-14 के आयात निर्यात प्रपत्र 2ख में संशोधन करते हैं।

संशोधन का कारण

आयात निर्यात प्रपत्र 2ख को प्रतिबंधित मदों के आयात के लिए आवेदन पत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। इसमें 14 प्रविष्टियाँ और 7 घोषणाएं हैं। इसमें आवेदन पत्र के अन्त में आवेदक के लिए दिशा निर्देश हैं। दिशानिर्देश 4(ख) में विदेशी आपूर्तिकर्ता से प्रपत्र बीजक की एक स्व-प्रमाणित प्रति अपेक्षित है। इस आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब विदेशी आपूर्तिकर्ता से प्रपत्र बीजक की ऐसी स्व-प्रमाणित प्रति को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी।

संशोधन

आयात निर्यात प्रपत्र 2ख में संलग्न आवेदकों के लिए दिशा निर्देशों की क्रम संख्या 4(ख) को एतद्द्वारा हटाया जाता है।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव

आयात प्राधिकर पत्र के लिए आवेदन के साथ प्रपत्र बीजक प्रस्तुत करने की अब आवश्यकता नहीं होगी।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0.01/93/180/67/एएम 10/पीसी-2(बी) से जारी)